छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2010
(श्रावण-6, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 36 अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009, तथा

(2) सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (क्रमांक 56 सन् 2007) की धारा 32 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-3/2010/स.क./26, दिनांक 7 मई, 2010 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009

पटल पर रखे।

3. प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति में हुए रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2010 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शनिवार, दिनांक 31 जुलाई, 2010 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 02 अगस्त, 2010 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।
   निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।
   उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यार्थी के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ताविहीन सड़कों का निर्माण किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 1 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष, श्री रविन्द्र चौबे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने महानदी में बैराज निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण में अनियमितता किए जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्मलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री नारायण चंदेल

(3) महंत रामसुंदर दास

(4) श्री दूजराम बौद्ध

(5) श्री रामजी भारती

8. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2010 की तिथि निर्धारित की ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010)

सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) पुरःस्थापित किया ।

(2) हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010)

श्री रामविचार नेताम, विधि एवं विधायी मंत्री ने हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) पुरःस्थापित किया ।

10. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज दोपहर 1.00 बजे समस्त माननीय सदस्य नई राजधानी का अवलोकन एवं वृक्षारोपण करने हेतु आमंत्रित हैं। विधान सभा से जाने हेतु बस की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। अवलोकन एवं वृक्षारोपण उपरांत भोजन में भी समस्त सदस्य एवं पत्रकारगण आमंत्रित हैं। बसें दोपहर 1.00 बजे विधान सभा के पोर्च में उपलब्ध रहेंगी।

अपराह्न 12.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 29 जुलाई, 2010 (श्रावण 7, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा